राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्जुबाला | मुरेश

तारीख हुक्म	291/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1

15/3/21

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पो. द्वारा एक वाद प्रस्तुत किया, जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/2020 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी कि आराजी ख.न. 63 व 64 के मौके की प्रार्थी के हिस्से तक यथास्थिति बनाये रखे | उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा जवाब दिनांक 17/03/2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसमे अप्रार्थी द्वारा यह अंकित किया गया कि अप्रार्थी/अपीलान्ट्स प्रश्नगत आराजी के सहखातेदार से उनके हिस्से की आराजीयात क्रय करके काबिज हुये है एवं क्रयशुदा आराजी पर पशुओ को बाधने व रखने के लिये व चारा डालने के लिये मकान डंडे का निर्माण किया है, जिसकी छत डालना शेष है | उक्त जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात दिनांक 24/06/2020 को वादी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 CPC बाबत संशोधन प्रार्थना पत्र धारा 212 RTACT हेतु प्रस्तुत किया, जिसका जवाब दिनांक 26/06/2020 को अप्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया | जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17/02/2020 के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अभिभाषक अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति यही थी कि अपीलार्थी प्रश्नगत आराजी के सहखातेदार से उसके हिस्से के क्रेता है एवं चूँकी प्रश्नगत आराजी का पूर्व खातेदारों के मध्य ही आपसी सहमती से बटवारा हो चूका था, अत: विक्रेता सहखातेदार बटवारे के पश्चात प्रश्नगत आराजी के जिस हिस्से पर काबिज थे, उसी हिस्से पर क्रय के पश्चात अपीलार्थीगण काबिज हुये है एवं मौके पर अपने हिस्से की आराजीयात पर अपनी जरूरत के हिसाब से निर्माण कार्य कर रहे है, जिसमे बाधा कारित करने हेतु मात्र वादी/रेस्पो. द्वारा वाद मात्र स्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान) जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

मधुबाला | मुकेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
291/2020	2	

निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील प्राप्त कर लिया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/2020 को पारित आदेश को एक वर्ष व्यतीत हो रहा है किन्तु प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा निरन्तर यह प्रयास हो रहा है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही होने दे, इसी आशय से प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 का प्रस्तुत किया गया है जबकी आदेश 39 नियम 3(क) सी पी सी में यह आज्ञात्मक नियम है कि किसी भी न्यायालय को एक बार स्थगन या अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिये जाने के पश्चात उसका निस्तारण एक माह की अवधि में सुनिश्चित किया जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 17/02/2020 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी के सहखातेदारों के मध्य कोई बटवारा नही हुआ है, आज ही प्रश्नगत आराजी सम्पूर्ण सहखातेदारों के मध्य सयुक्त सहखाते की आराजीयात है। जिसके किसी भी हिस्से पर यदि कोई निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में परिवर्तन करता है तो दुसरे सहखातेदार को न्यायालय के मार्फत ऐसा नही करने हेतु पाबन्द कराये। प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी/अपीलान्ट्स को पाबन्द कराया है उक्त पाबन्दी के आदेश के पश्चात भी अप्रार्थी/अपीलार्थी मौके पर निर्माण कार्य कर रहे थे इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 212 RTACT में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 CPC प्रस्तुत करना पड़ा। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय नही हो सका है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का निस्तारण मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 RTACT के निस्तारण से पूर्व किया जाना आवश्यक है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 के निस्तारण के पश्चात ही

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान) जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

291/2020 मन्जुबाला / मुकेश

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTACT का निस्तारण किया जा सकता है। चूँकी प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 का जवाब भी अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चूका है अब प्रार्थना पत्र धारा 212 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाना है। अतः अपील अपीलार्थी निराधार होने से ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/2020 के पश्चात अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17/03/2020 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 212 RTACT प्रस्तुत किया गया अर्थात आदेश के माह पश्चात जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/रिस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका जवाब अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इन समस्त प्रक्रियाओं में समय व्यतीत होने से मूल प्रार्थना पत्र धारा 212RTACT का निस्तारण नही हो सका है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार प्रक्रिया में देरी किया जाना प्रतीत नही होता है किन्तु इस अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र धारा 212RTACT के सन्दर्भ में दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर उसका निस्तारण करे। तदनुसार अपील अपीलार्थी उक्त निर्देश तक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/03/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के त्वरित निस्तारण में सहयोग करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

(राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान))